इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) और विरोधी नीति मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपाय

(14 नवंबर, 2023 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया गया)

अंतर्वस्तु

1 परिचय एवं उद्देश्य 3

2 लक्षित दर्शक..... 3

3 पॉलिसी की प्रयोज्यता एवं वैधता..... 3

4 परिभाषा 3

5 नीति के प्रमुख तत्व..... 4

5.1 ग्राहक स्वीकृति नीति 4

5.2 ग्राहक पहचान प्रक्रिया 7

5.2.1 ग्राहक देय परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया..... 9

5.2.2 उन्नत उचित परिश्रम उपाय..... 11

5.2.3 चल रही उचित परिश्रम..... 12

5.2.4 केवाईसी दस्तावेज़ों का आवधिक अद्यतनीकरण..... 14

5.3 जोखिम प्रबंधन 15

5.3.1 जोखिम आधारित दृष्टिकोण 16

5.4 लेन-देन की निगरानी..... 16

5.4.1 लेन-देन के रिकॉर्ड का रखरखाव 16

5.4.2 निर्दिष्ट जानकारी समाहित करने वाले रिकॉर्ड ..... .17

5.4.3 अभिलेखों का रख-रखाव एवं संरक्षण 17

5.4.4 प्रधान अधिकारी..... 18

5.5 सी-केवाईसी प्राधिकरण के साथ पंजीकरण 18

6 ग्राहक शिक्षा..... 19

7 नई तकनीकें 19

8 नीति के प्रमुख तत्व..... 19

1 परिचय एवं उद्देश्य

आरबीआई द्वारा मास्टर डायरेक्शन - नो योर कस्टमर के तहत केवाईसी पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार**(केवाईसी) दिशा, 2016**और समय-समय पर संशोधित -इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और इसकी समूह कंपनियों को उधार/क्रेडिट संचालन/वित्तीय लेनदेन के लिए अपनी केवाईसी नीति मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप रखना आवश्यक है। उसी के मद्देनजर, आईएचएफएल ने अपने द्वारा की गई गतिविधि के आधार पर उपयुक्त संशोधनों के साथ उक्त केवाईसी दिशानिर्देशों को अपनाया है।

केवाईसी दिशानिर्देशों का उद्देश्य आईएचएफएल (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) और समूह कंपनियों को आपराधिक तत्वों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों या आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए जानबूझकर या अनजाने में इस्तेमाल किए जाने से रोकना है। केवाईसी प्रक्रियाएं कंपनी को अपने ग्राहकों और उसके वित्तीय लेनदेन को बेहतर ढंग से जानने और समझने में भी सक्षम बनाएंगी, जिससे बदले में उसे अपने जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, कंपनी द्वारा केवाईसी नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है:

- आपराधिक तत्वों को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए IHFL का उपयोग करने से रोकना
- IHFL को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन-देन को बेहतर ढंग से जानने/समझने में सक्षम बनाना, जिससे बदले में, कंपनी को जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।
- लागू कानूनों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए उचित नियंत्रण स्थापित करना।
- लागू कानूनों और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि संबंधित कर्मचारी केवाईसी/एएमएल/सीएफटी प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

2 लक्षित दर्शक

बोर्ड, ट्रेजरी विभाग, वित्त विभाग, कराधान विभाग, सचिवीय विभाग और संचालन विभाग के सदस्य इस दस्तावेज़ के प्राथमिक श्रोता होंगे। इस नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी।

3 पॉलिसी की प्रयोज्यता और वैधता

यह नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तिथि से लागू होगी। नीति को समय-समय पर, कम से कम वार्षिक आधार पर अद्यतन करने की आवश्यकता है। कानूनों, विनियमों में परिवर्तन के कारण परिवर्धन और संशोधन के माध्यम से नीति में कोई भी बदलाव, बाद में निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट के साथ तुरंत लागू किया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस दस्तावेज़ में बताई गई केवाईसी - एएमएल नीति इस संबंध में किसी अन्य दस्तावेज़ / प्रक्रिया / परिपत्र / पत्र / निर्देश (केवाईसी-एएमएल) में निहित किसी भी चीज़ पर लागू होगी। यह नीति कंपनी और समूह की कंपनियों के सभी कार्यक्षेत्रों/उत्पादों पर लागू होगी, चाहे वे मौजूदा हों या भविष्य में लागू होने वाली हों।

4 परिभाषा:

एक। "ग्राहक" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक विनियमित इकाई (आरई) के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में शामिल व्यक्ति कार्य कर रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (आईएचएफएल) एक पंजीकृत एनबीएफसी-एनडीएसआई है और इसलिए एक विनियमित संस्था (आरई) है। की गतिविधियों के अनुसार

IHFL के निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को ग्राहक माना जाएगा

(मैं) उधारकर्ताओं में व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट या कंपनी, सह-उधारकर्ता, उधारकर्ता का गारंटर शामिल हैं।

(ii) डीएसए, कलेक्शन एजेंट, आईएचएफएल के साथ पंजीकृत

(iii) सूचीबद्ध दलाल, कानून फर्म, तकनीकी सलाहकार, सॉफ्ट/हार्ड वायर सपोर्ट या कोई अन्य समान सेवा प्रदाता,

(iv) कंपनी के निवेशकों, शेयरधारकों द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत कानूनी/

(v) तकनीकी सलाहकार।

5 नीति के प्रमुख तत्व

कंपनी निम्नलिखित चार प्रमुख तत्वों को शामिल करते हुए अपनी केवाईसी नीतियां तैयार कर रही है:

(i) ग्राहक स्वीकृति नीति;
(ii) ग्राहक पहचान प्रक्रियाएँ;
(iii) लेनदेन की निगरानी; और
(iv) जोखिम प्रबंधन

5.1 ग्राहक स्वीकृति नीति

IHFL की ग्राहक स्वीकृति नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के साथ ग्राहक संबंधों के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश लागू हों: -

- कोई भी खाता गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम(नामों) से नहीं खोला जाता है।
- ऐसे किसी भी खाते को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका नाम कंपनी द्वारा रखी गई नकारात्मक सूची में या संयुक्त राष्ट्र-विरोधी आतंकवादी कार्रवाई टस्क बल और साथ ही भारत में नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर प्रसारित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में दिखाई दे रहा हो।
- जोखिम धारणा के मापदंडों को ग्राहक और उसके ग्राहकों के स्थान और भुगतान के तरीके, टर्नओवर की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति आदि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया जा सके (एचएफसी कोई भी चुन सकता है) उपयुक्त नामकरण, अर्थात स्तर I, स्तर II, स्तर III आदि); जिन ग्राहकों को बहुत उच्च स्तर की निगरानी की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों को, यदि आवश्यक समझा जाए, तो उन्हें और भी उच्च स्तर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वीकृति और पहचान के लिए, ग्राहकों को मोटे तौर पर कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: -

(मैं)**कम जोखिम वाले ग्राहक**: इस नीति के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं होंगी जिनकी पहचान और धन के स्रोतों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जिनके पास संरचित आय और लेनदेन हैं जिनके खाते कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफ़ाइल के अनुरूप हैं। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं:

(ए) वेतनभोगी आवेदक जिनका वेतन चेक या बैंक हस्तांतरण द्वारा भुगतान किया जाता है।

(बी) सरकारी विभागों से संबंधित लोग,

(सी) सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, नियामकों और वैधानिक निकायों आदि के साथ काम करने वाले लोग।

(डी) समाज के निचले आर्थिक तबके से संबंधित लोग जिनके खातों में छोटी शेष राशि और कम टर्नओवर दिखाई देता है, तदनुसार 10 लाख रुपये तक के नए या मौजूदा एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं को कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(ई) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ काम करने वाले लोग

(एफ) प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने वाले लोग।
(जी) एचएनआई के अलावा स्व-रोज़गार पेशेवर
(ज) 1 करोड़ रुपये तक की वार्षिक आय वाले आवेदक
(i) 5 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि वाले वेतनभोगी आवेदक
(जे) 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि वाले स्व-रोज़गार आवेदक

(ii)**मध्यम जोखिम वाले ग्राहक**इसमें शामिल हो जाएगा:
(ए) वेतनभोगी आवेदक गैर आवास ऋण की तलाश में हैं।
(बी) अनिवासी वेतनभोगी आवेदक
(सी) 3 वर्ष से अधिक के व्यावसायिक ट्रैक रिकॉर्ड वाले उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति।
(डी) वेतनभोगी आवेदक जिनकी ऋण राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है, 25 करोड़ रुपये तक / स्व-रोज़गार आवेदक, जिनकी ऋण राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, 25 करोड़ रुपये तक है।
(ई) आवेदक जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये तक है
(एफ) ऋण संरचना पर करीबी पारिवारिक शेयरधारिता या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां।

(जी)**उच्च जोखिम वाले ग्राहक**जो हमारे लिए औसत से अधिक जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं, उन्हें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि की प्रकृति और स्थान, मूल देश, धन के स्रोत और उसके ग्राहक प्रोफ़ाइल आदि के आधार पर उच्च जोखिम वाले ग्राहकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंपनी मामले की जांच करेगी। हमारी क्रेडिट जोखिम नीति और परिचालन मैनुअल के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन के आधार पर विवरण। अधिक उचित परिश्रम की आवश्यकता वाले उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं:

(ज) ऐसे आवेदक जिनकी वार्षिक मूल्यांकित आय रु. 5 करोड़
(i) वेतनभोगी के अलावा अनिवासी ग्राहक।
(जे) ट्रस्ट, दान, गैर सरकारी संगठन और दान प्राप्त करने वाले संगठन।
(के) ऐसी कंपनियां जिनके पास करीबी पारिवारिक शेयरधारिता या लाभकारी स्वामित्व है, जो केवाईसी के साथ ऋण पर नहीं हैं।
(एल) ऐसे आवेदक जिनकी ऋण राशि रुपये से अधिक है। 25 करोड़
(एम) रियल एस्टेट (*), आभूषण या सर्राफा व्यवसाय में गैर-व्यक्तिगत आवेदक।
(एन) विदेशी मूल के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी),
(ओ) गैर-आमने-सामने ग्राहक
(पी) समूह/सहयोगी कंपनियों के निदेशक/प्रवर्तक से संबंधित व्यक्ति, उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा आदि।

* *व्यावसायिक/कॉर्पोरेट/बिल्डर ऋण खंड के ग्राहकों के लिए उन्नत उचित परिश्रम उपाय अपनाए गए हैं और वर्गीकरण के लिए ऐसे ग्राहकों पर आय और ऋण राशि की सीमाएं लागू नहीं होंगी।

<u>मानदंड</u>

प्रोफ़ाइल*	बिल्डर - प्रोजेक्ट कैश फ्लो के साथ	मध्यम
	बिल्डर-अन्य	भारी जोखिम
	सराफा व्यापार को छोड़कर अन्य व्यवसाय	मध्यम

- जहां कंपनी उचित ग्राहक यथोचित परिश्रम (सीडीडी) उपाय लागू करने में असमर्थ है, यानी कंपनी पहचान सत्यापित करने और/या जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ है, वहां खाता न खोलें या मौजूदा खाता बंद न करें। ग्राहक का सहयोग या कंपनी को दिए गए डेटा/सूचना की गैर-विश्वसनीयता। यदि आवश्यक हो तो कंपनी एसटीआर दाखिल करने पर विचार करेगी, जब वह ग्राहक के संबंध में प्रासंगिक सीडीडी उपायों का पालन करने में असमर्थ हो।

- अनुमानित जोखिम और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी, ग्राहक से घोषणा ली जाएगी कि कार्यवाही / लेनदेन पीएमएल अधिनियम, 2002 का उल्लंघन नहीं है और इस संबंध में विनियम. जिन परिस्थितियों में, किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी
- जाती है, वे स्थापित कानून और प्रथाओं के अनुरूप होनी चाहिए, और ग्राहक को कारण/अवसर को संतोषजनक ढंग से समझाने में सक्षम होना चाहिए कि खाता संचालित करने की आवश्यकता क्यों है अधिदेश धारक द्वारा या जहां एक खाता किसी मध्यस्थ द्वारा प्रत्ययी क्षमता में खोला जा सकता है

- कंपनी के पास एक मानक ग्राहक पहचान प्रक्रिया होगी और खाता खोलने से पहले उसका पालन किया जाना चाहिए। नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्राहक की पहचान किसी ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति या प्रतिबंधित संस्थाओं जैसे व्यक्तिगत आतंकवादियों या परिपत्रों आदि से उपलब्ध आतंकवादी संगठनों से मेल न खाए।

- समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित ग्राहक को पते का वर्तमान प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ छूट प्रदान की जा सकती है।
- कंपनी इस नीति में उल्लिखित जोखिम वर्गीकरण के आधार पर और क्रेडिट जोखिम नीति के अनुसार क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान प्रत्येक नए ग्राहक के लिए एक प्रोफ़ाइल तैयार करेगी। ग्राहक प्रोफ़ाइल में ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, उसके ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान आदि के बारे में जानकारी शामिल होगी। उचित परिश्रम की प्रकृति और सीमा कंपनी द्वारा देखे गए जोखिम पर निर्भर करेगी। . हालाँकि, ग्राहक प्रोफ़ाइल तैयार करते समय, कंपनी ग्राहक से केवल वही जानकारी मांगेगी जो जोखिम श्रेणी के लिए प्रासंगिक हो और दखल देने वाली न हो। ग्राहक से प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, ग्राहक से कोई भी अन्य जानकारी उसकी सहमति से और खाता खोलने के बाद अलग से मांगी जानी चाहिए। ग्राहक प्रोफ़ाइल एक गोपनीय दस्तावेज़ होगा और उसमें मौजूद विवरण क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा।

- संयुक्त खाता खोलते समय सभी संयुक्त खाताधारकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। खाता खोलते समय और आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान केवाईसी प्रयोजन के लिए मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी इस नीति के आगामी अनुभाग में निर्दिष्ट है।

-खाता खोलने के बाद वैकल्पिक/अतिरिक्त जानकारी ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जानी है।

- यदि कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन ग्राहक हमारे लिए एक और खाता खोलना चाहता है, तो नए सीडीडी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है।
- जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त किया जाता है, उसे जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

5.2 ग्राहक पहचान प्रक्रिया

ग्राहक पहचान का अर्थ है सीडीडी की प्रक्रिया शुरू करना यानी ग्राहक की पहचान करना और बोर्ड द्वारा पहचाने गए विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके उसकी पहचान सत्यापित करना। को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है

संतुष्टि का स्तर जो प्रत्येक नए ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक है, चाहे वह नियमित हो या कभी-कभार, और व्यावसायिक संबंधों की इच्छित प्रकृति का उद्देश्य। संतुष्टि का अर्थ है सक्षम अधिकारियों को संतुष्ट करने में सक्षम होना कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर उचित परिश्रम किया गया था। ग्राहक पहचान प्रक्रिया विभिन्न चरणों में की जाएगी: -

(ए) ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध की शुरुआत।
(बी) जब ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता/सच्चाई या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो तो उसने ग्राहक पहचान डेटा प्राप्त कर लिया है।
(सी) तीसरे पक्ष के उत्पादों को एजेंट के रूप में बेचना, अपने स्वयं के उत्पादों और किसी अन्य उत्पाद को पचास हजार रुपये से अधिक में बेचना।

कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई सीडीडी पर भरोसा कर सकती है:

(ए) तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक के उचित परिश्रम के रिकॉर्ड या जानकारी तुरंत तीसरे पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री से प्राप्त की जाती है।

(बी) कंपनी द्वारा खुद को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं कि ग्राहक की उचित परिश्रम आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां बिना किसी देरी के अनुरोध पर तीसरे पक्ष से उपलब्ध कराई जाएंगी।

(सी) तीसरे पक्ष को धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक के उचित परिश्रम और रिकॉर्ड-रखने की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विनियमित, पर्यवेक्षण या निगरानी की जाती है और उसके पास उपाय हैं।

(डी) तीसरा पक्ष उच्च जोखिम वाले देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं होगा।
(ई) सीडीडी के लिए अंतिम जिम्मेदारी, जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया कार्य और यथा लागू उचित परिश्रम उपाय करना शामिल है, कंपनी की होगी।

(ए)यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1988(2011) और यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध सूची और अन्य यूएनएससीआर के अनुसार यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची तालिबान प्रतिबंध सूची में अद्यतन।

आरबीआई परिपत्र दिनांक 24.03.2021 के संदर्भ में, सभी एचएफसी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के संबंध में सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं, यानी व्यक्तियों के नाम पर कोई खाता नहीं रखना है। व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में दिखाई देने वाली संस्थाएं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है और आरबीआई द्वारा परिचालित अन्य यूएनएससीआर द्वारा अनुमोदित किया जाता है और साथ ही गैरकानूनी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967, (यूएपीए) आदेश दिनांक 14 मार्च, 2019।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा: -

- आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध यूएनएससी प्रतिबंध सूचियों और सूचियों को दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और कोई भी

परिवर्धन, विलोपन या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूचियों में संशोधन को सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए आरई द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

- उपरोक्त व्यक्तियों/संस्थाओं की अद्यतन सूची इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना। सभी नए
- ग्राहकों के आवेदनों की मिलान के लिए ऊपर उल्लिखित सूची, यदि कोई हो, से जांच की जानी चाहिए।
- सभी मौजूदा ग्राहकों के लिए, समय-समय पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
- यदि कोई मिलान पाया जाता है, तो इसकी आगे जांच की जाएगी और धोखाधड़ी नियंत्रण इकाई द्वारा आवश्यक रिपोर्टिंग की जाएगी और ऐसे ग्राहक के विवरण को एफआईयू-आईएनडी, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के यूएपीए नोडल अधिकारी और गृह मंत्रालय (एमएचए) को सूचित किया जाएगा।).
- इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में FIU-IND के साथ एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) भी दर्ज करनी होगी।
- एक बार संदेह से परे मैच स्थापित हो जाने पर किसी भी वित्तीय लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतरसरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो कंपनी जवाबी कदम उठाएगी।

पीएमएल नियमों के नियम 9 के प्रावधान के अनुसार, खाता खोलने/लेनदेन के निष्पादन के बाद उचित समय के भीतर ग्राहक की पहचान सत्यापित करने में दी गई छूट वापस ले ली गई है। साथ ही, जैसा कि नियम 9 में निर्देश दिया गया है, अधिकारी लाभार्थी मालिक की पहचान करेंगे और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे। जैसा कि इस नियम में अपेक्षित है, अधिकारियों को प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंधों के संबंध में निरंतर उचित परिश्रम करना होगा और लेनदेन की बारीकी से जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ग्राहक, उसके व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल और स्रोत के बारे में उनके ज्ञान के अनुरूप हैं। धन/संपत्ति का.

कंपनी को 1 सितंबर, 2023 के आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे, जिसका शीर्षक है- "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनकी डिलीवरी प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी) की धारा 12 ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अधिनियम, 2005)", वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, निर्दिष्ट सूची के तहत नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के खातों, वित्तीय संपत्तियों आदि को फ्रीज/अनफ्रीज करने के लिए हितधारकों द्वारा की जाने वाली आवश्यकताओं और कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। WMD अधिनियम, 2005 की धारा 12A के तहत:-

I. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि यदि व्यक्ति/संस्था का विवरण निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण से मेल खाता है तो लेनदेन न किया जाए।

द्वितीय. कंपनी किसी ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करते समय दिए गए मापदंडों पर जांच करेगी और समय-समय पर यह सत्यापित करेगी कि निर्दिष्ट सूची में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के पास कोई फंड, वित्तीय संपत्ति आदि है या नहीं। बैंक खाते का प्रपत्र, आदि।

तृतीय. उपरोक्त मामलों में मिलान के मामले में, कंपनी तुरंत केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) को शामिल धन, वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के पूर्ण विवरण के साथ लेनदेन विवरण की सूचना देगी, जिसे धारा 12 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005। संचार की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी, जहां खाता/लेनदेन है और आरबीआई को भेजी जाएगी। आरईएस को एफआईयू-आईएनडी के साथ एक एसटीआर दाखिल करना होगा जिसमें खातों में ऊपर बताए गए, किए गए या किए गए सभी लेनदेन शामिल होंगे।

चतुर्थ. आरईएस एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर संशोधित निर्दिष्ट सूची का उल्लेख कर सकते हैं।

V. यदि संदेह से परे विश्वास करने के कारण हैं, तो ग्राहक द्वारा रखी गई धनराशि या संपत्ति डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आएगी। , आरई ऐसे व्यक्ति/इकाई को बिना किसी देरी के ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा सीएनओ को सूचित करके वित्तीय लेनदेन करने से रोकेंगे।

VI. यदि सीएनओ से आरई को धारा 12ए के तहत संपत्तियों को जब्त करने का आदेश प्राप्त होता है, तो आरई को बिना देरी किए, आदेश का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

सातवीं. आदेश के पैराग्राफ 7 के अनुसार धनराशि को अनफ्रीज करने आदि की प्रक्रिया की जाएगी। तदनुसार, अनफ्रीजिंग के संबंध में किसी व्यक्ति/इकाई से प्राप्त आवेदन की प्रति आरई द्वारा फ्रीज की गई संपत्ति के पूरे विवरण के साथ, जैसा कि आवेदक द्वारा दिया गया है, सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर भेज दी जाएगी।

इसलिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक पहचान नीति का विभिन्न चरणों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात संबंध स्थापित करते समय; वित्तीय लेनदेन करना या जब कंपनी को पहले से प्राप्त ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता/सच्चाई या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो।

कंपनी को अपनी संतुष्टि के लिए, प्रत्येक नए ग्राहक की पहचान, चाहे वह नियमित हो या कभी-कभार, और रिश्ते की इच्छित प्रकृति के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पीएमएल नियमों के नियम 9 और आरबीआई और आरबीआई के निर्देश विभिन्न प्रकार के ग्राहकों यानी व्यक्तियों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, ट्रस्टों, अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय और न्यायिक व्यक्तियों की पहचान के लिए प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों/जानकारी का प्रावधान करते हैं। आईएचएफएल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त नियम के प्रावधानों पर ध्यान दें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

उक्त नियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ग्राहक पहचान की आवश्यकताएं अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नीति में दी गई हैं।

ग्राहक की पहचान के लिए जिन दस्तावेजों/जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है, उनकी प्रकृति और प्रकार की सूची अनुबंध-I में दी गई है। अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं से निपटने के अपने अनुभव, सामान्य विवेक और यहां निर्धारित और समय-समय पर नियामकों और कानूनों द्वारा संशोधित कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

(एफ) कंपनी वी-सीआईपी (वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) शुरू कर सकती है:-

i) व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए नए ग्राहक के शामिल होने के मामले में सीडीडी, स्वामित्व फर्म के मामले में मालिक, कानूनी इकाई (एलई) ग्राहकों के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और लाभकारी मालिक (बीओ)। बशर्ते कि किसी स्वामित्व फर्म के सीडीडी के मामले में, आरईएस को मालिक की सीडीडी करने के अलावा, धारा 28 में उल्लिखित स्वामित्व फर्म के संबंध में गतिविधि प्रमाणों के समतुल्य ई-दस्तावेज भी प्राप्त करना होगा।

ii) धारा 17 के अनुसार आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करके गैर-आमने-सामने मोड में खोले गए मौजूदा खातों का रूपांतरण। iii) पात्र ग्राहकों के लिए केवाईसी का अद्यतन/आवधिक अद्यतनीकरण।

इस तरह के वी-सीआईपी को आवश्यक बुनियादी ढांचे और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में नियामक द्वारा जारी निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में शुरू और पूरा किया जाना चाहिए।

5.2.1 ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया

ग्राहक उचित परिश्रम का अर्थ है ग्राहकों की पहचान करना, उनकी पहचान सत्यापित करना, व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पहचाने गए एमएल/टीएफ जोखिमों और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करना। ग्राहक के साथ खाता आधारित संबंध शुरू करते समय ऐसा करना आवश्यक है। सीडीडी, खाता-आधारित संबंध शुरू करने के समय या पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक राशि का कभी-कभार लेनदेन करते समय, चाहे वह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हों, या किसी अंतरराष्ट्रीय धन के रूप में किए गए हों स्थानांतरण परिचालन में शामिल होंगे:

एक। ग्राहक की पहचान, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन, जहां लागू हो, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

बी। ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;

सी। यह निर्धारित करना कि क्या कोई ग्राहक किसी लाभकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, और लाभकारी स्वामी की पहचान करना और पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके लाभकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी कदम उठाना।

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की पहचान और पते को सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़/जानकारी अनुबंध-I में निर्दिष्ट है। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ है ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ की प्रति की मूल प्रति से तुलना करना और कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा उसे प्रति पर दर्ज करना। ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज़ (आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर और अन्य संबंधित पक्षों के लिए) मूल रूप में देखे जाने चाहिए और आईएचएफएल कर्मचारी/सोर्सिंग चैनल पार्टनर द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए जो ओएसवी करने के लिए अधिकृत हैं और "मूल देखा और सत्यापित" स्टांप के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए। जिन दस्तावेज़ों को बनाने की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं:

- जहां एक ग्राहक, खाता आधारित संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ, कंपनी को एक केवाईसी पहचानकर्ता जमा करता है, तो उनके केवाईसी रिकॉर्ड केवाईसी पहचानकर्ता और ग्राहक का उपयोग करके सीकेवाईसीआर से ऑनलाइन पुनर्प्राप्त किए जाएंगे। समान केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि -

  (i) सीकेवाईसीआर के रिकॉर्ड में मौजूद ग्राहक की जानकारी में बदलाव हुआ है;

  (ii) ग्राहक का वर्तमान पता सत्यापित किया जाना आवश्यक है;
  (iii) कंपनी ग्राहक की पहचान या पते को सत्यापित करने, या उचित परिश्रम बढ़ाने या ग्राहक की उचित जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए इसे आवश्यक मानती है।

- अन्य मामलों में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है, तो उसे केवाईसी दस्तावेज़ के रूप में आधार जमा करने पर जोर नहीं दिया जाएगा।
- IHFL के साथ पहले से ही खाता-आधारित संबंध रखने वाले ग्राहक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख पर अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म नंबर 60 जमा करना होगा, ऐसा न करने पर खाता अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा।

ग्राहक द्वारा स्थायी खाता संख्या या फॉर्म नंबर 60 जमा करने तक चालू रहेगा। ग्राहक को उसके खाते के संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने से पहले एक सुलभ नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी खाते के संबंध में "संचालन की अस्थायी समाप्ति" का अर्थ है उस खाते के संबंध में सभी लेनदेन या गतिविधियों (क्रेडिट को छोड़कर) का अस्थायी निलंबन जब तक ग्राहक इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करता।

- यदि खाता-आधारित संबंध रखने वाला कोई मौजूदा ग्राहक आईएचएफएल को लिखित रूप में देता है कि वह अपना स्थायी खाता नंबर या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं करना चाहता है, जैसा भी मामला हो, ग्राहक का खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी ग्राहक की पहचान स्थापित करने के बाद खाते के संबंध में देय दायित्वों का उचित निपटान किया जाएगा। ग्राहक को अपना खाता खोलते समय इस प्रावधान के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।

- यदि ग्राहक किसी चोट, बीमारी या बुढ़ापे या अन्य इसी तरह के कारणों से किसी चोट, बीमारी या दुर्बलता के कारण पैन या फॉर्म 60 प्रदान करने में असमर्थ है, तो ग्राहक खाता संचालित किया जाना जारी रखा जाएगा।

5.2.1.1 लाभकारी स्वामी की पहचान के लिए सीडीडी उपाय

किसी कानूनी व्यक्ति का खाता खोलने के लिए, जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लाभकारी मालिक की पहचान की जाएगी और उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सभी उचित कदम उठाए जाएंगे:

- जहां ग्राहक या नियंत्रित हित का मालिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों के किसी भी शेयरधारक या लाभकारी मालिक की पहचान की पहचान करना और सत्यापित करना आवश्यक नहीं है।

  सीडीडी में वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले प्रासंगिक व्यक्तियों के नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता, और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है, शामिल करना होगा।

- ट्रस्ट/नामांकित या प्रत्ययी खातों के मामलों में यह निर्धारित किया जाता है कि ग्राहक ट्रस्टी/नामांकित या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में, मध्यस्थों और उन व्यक्तियों की पहचान के संतोषजनक साक्ष्य, जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं, साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या स्थानों में अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा।

  सीडीडी में लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर, संरक्षक, यदि कोई हो, और ट्रस्ट के लेखकों के नाम, ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता और ट्रस्टियों की सूची शामिल होगी।

लाभकारी स्वामी (बीओ) की परिभाषा:

- जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है। **स्पष्टीकरण:**-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए-

  1. "नियंत्रित स्वामित्व हित" का अर्थ है कंपनी के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व या हकदारी;

  2. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं;

3. बीओ की पहचान से छूट: जहां ग्राहक या नियंत्रित हित का मालिक भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक इकाई है, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में निवासी इकाई है और ऐसे अधिकार क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है, या एक सहायक कंपनी है ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की.

- जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, दस प्रतिशत से अधिक पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व/हकदार रखता है भागीदारी;

  सीडीडी में सभी भागीदारों के नाम, और पंजीकृत कार्यालय का पता, और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है, शामिल होना चाहिए।

- जहां ग्राहक एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदार है ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या मुनाफा;

  स्पष्टीकरण:-'व्यक्तियों का निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं। जहां ऊपर उल्लिखित मामलों के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद रखता है।
- जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, लाभकारी मालिक की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में दस प्रतिशत या अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी भी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी। नियंत्रण या स्वामित्व की शृंखला के माध्यम से भरोसा करें।

5.2.2 उन्नत उचित परिश्रम उपाय

- **गैर-आमने-सामने वाले ग्राहकों के खाते**(आधार ओटीपी आधारित ऑनबोर्डिंग के अलावा): गैर-आमने-सामने ग्राहक का मतलब ऐसे ग्राहक हैं जो शाखा/कार्यालयों में आए या कंपनी के अधिकारी से मिले बिना खाते खोलते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान पता सत्यापित और पुष्टि किया गया है, पैन प्राप्त किया गया है और पहला भुगतान ग्राहक के केवाईसी-अनुपालित खाते के माध्यम से किया जाना है, गैर-आमने-सामने ग्राहकों की बढ़ी हुई सावधानी के लिए और पहचान होने तक उच्च जोखिम को वर्गीकृत किया जाएगा। आमने-सामने या वी-सीआईपी आदि के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

- **राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के खाते:**राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं या जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जैसे राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी , आदि। पीईपी (उन खातों सहित जहां पीईपी लाभकारी स्वामी है) और पीईपी के परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित के अधीन है: -

  (ए) पीईपी पर परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के खातों के धन के स्रोतों के बारे में जानकारी सहित पर्याप्त जानकारी एकत्र की जाती है और धन/धन के स्रोत की स्थापना के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

  (बी)पीईपी को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित की जाएगी,

(सी)पीईपी के लिए खाता खोलने का निर्णय कंपनी की ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर लिया जाता है।
(डी)ऐसे सभी खातों पर निरंतर आधार पर निगरानी बढ़ाई जाती है।
(ई) किसी मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते के लाभकारी मालिक के बाद में पीईपी बनने की स्थिति में, व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त की जाती है;

(एफ) निरंतर आधार पर उन्नत निगरानी सहित पीईपी पर लागू सीडीडी उपाय लागू हैं।

- **व्यावसायिक मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक के खाते:**पेशेवर मध्यस्थों के माध्यम से ग्राहकों के खाते खोलते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है:-

(ए) ग्राहक की पहचान तब की जाएगी जब किसी एकल ग्राहक की ओर से किसी पेशेवर मध्यस्थ द्वारा ग्राहक खाता खोला जाएगा।
(बी) कंपनी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या अन्य प्रकार के फंड जैसी संस्थाओं की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा प्रबंधित 'पूल' खाते रख सकती है।

(सी) ऐसे पेशेवर मध्यस्थों के खाते न खोलें जो किसी भी ग्राहक गोपनीयता से बंधे हैं जो कंपनी को ग्राहक विवरण का खुलासा करने से रोकता है।

(डी) सभी लाभकारी मालिकों की पहचान की जाएगी जहां मध्यस्थों द्वारा रखे गए धन को कंपनी के स्तर पर मिश्रित नहीं किया जाता है, और वहां 'उपखाते' होते हैं, उनमें से प्रत्येक एक लाभार्थी मालिक के लिए जिम्मेदार होता है, या जहां ऐसे धन सह-मौजूद होते हैं -कंपनी के स्तर पर घुल-मिल जाएं तो लाभकारी मालिकों की पहचान करनी होगी।

(ई) एक मध्यस्थ द्वारा किए गए सीडीडी पर भरोसा करना, बशर्ते कि मध्यस्थ एक विनियमित और पर्यवेक्षित इकाई हो और उसके पास ग्राहकों की केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां हों।
(एफ) ग्राहक को जानने की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी की है।

5.2.3 चल रही उचित परिश्रम

चालू ड्यू डिलिजेंस का मतलब खातों में लेनदेन की नियमित निगरानी करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहक प्रोफ़ाइल और धन के स्रोत के अनुरूप हैं। निरंतर निगरानी प्रभावी केवाईसी प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य तत्व है। अधिकारियों को ग्राहक की सामान्य और उचित गतिविधि को समझकर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए और जोखिम को कम करना चाहिए ताकि उनके पास गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर होने वाले लेनदेन की पहचान करने के साधन हों। हालाँकि, निगरानी की सीमा प्रत्येक खाते की जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी।

(ए) सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और सभी असामान्य पैटर्न पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्य कानूनी उद्देश्य नहीं है।
(बी) खातों के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवधिक समीक्षा की जानी है।

(सी) जोखिम वर्गीकरण के उद्देश्य से, व्यक्तियों (उच्च नेट वर्थ के अलावा) और संस्थाएं जिनकी पहचान और धन के स्रोतों को आसानी से पहचाना जा सकता है और जिनके खातों में लेनदेन ज्ञात प्रोफ़ाइल के अनुरूप हैं, उन्हें कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है . कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण उदाहरण वेतनभोगी कर्मचारी हो सकते हैं जिनकी वेतन संरचना अच्छी तरह से परिभाषित है, समाज के निचले आर्थिक स्तर से संबंधित लोग जिनके खातों में छोटी शेष राशि दिखाई देती है और

कम टर्नओवर, सरकारी विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, नियामक और वैधानिक निकाय, आदि।

(डी) जिन ग्राहकों को औसत से अधिक जोखिम होने की संभावना है, उन्हें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि की प्रकृति और स्थान, मूल देश, धन के स्रोत और उसके ग्राहक प्रोफ़ाइल आदि के आधार पर मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उचित परिश्रम बढ़ाया गया उपायों को जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, जिससे उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए गहन 'उचित परिश्रम' की आवश्यकता होती है, खासकर जिनके लिए धन के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं।

(ई) अधिक उचित परिश्रम की आवश्यकता वाले ग्राहकों के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं: -

- अनिवासी ग्राहक,
- अच्छी निवल संपत्ति वाले शख़्स,
- ट्रस्ट, दान, गैर सरकारी संगठन और दान प्राप्त करने वाले संगठन,

- करीबी पारिवारिक शेयरधारिता या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां,
- 'स्लीपिंग पार्टनर्स' वाली फर्में,
- विदेशी मूल के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी),
- गैर-आमने-सामने ग्राहक, और
- उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले, आदि।

मौजूदा ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर हर साल समीक्षा की जानी चाहिए और जहां भी लागू हो, उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के अलावा पुन: वर्गीकरण (या तो अपग्रेड या डाउनग्रेड) किया जाना चाहिए, यह अर्धवार्षिक किया जाएगा।

सीनियर एन हे	पैरामीटर	मौजूदा वर्ग	नया वर्ग
1	संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	उच्च
		मध्यम	उच्च
2	सीटीआर/एसटीआर/धोखाधड़ी सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	उच्च
		मध्यम	उच्च
3	पिछले 12 महीनों में 3 बार या उससे अधिक नकद में ईएमआई का भुगतान किया गया	कम	मध्यम
		मध्यम	उच्च

वाणिज्यिक/कॉर्पोरेट/बिल्डर ऋण खंड के ग्राहकों के लिए पैरामीटर की समीक्षा करें

सीनियर एन हे	पैरामीटर	मौजूदा वर्ग	नया वर्ग
1	संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	उच्च
		मध्यम	उच्च
2	संयुक्त राष्ट्र सीटीआर/एसटीआर/धोखाधड़ी सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	उच्च
		मध्यम	उच्च

5.2.4 केवाईसी दस्तावेजों का आवधिक अद्यतनीकरण

आवधिक अद्यतनीकरण का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम हैं कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेज़, डेटा या जानकारी को मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित आवधिकता पर मौजूदा रिकॉर्ड की समीक्षा करके जोखिम आधारित दृष्टिकोण के अनुसार अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाता है। इसे खाता खोलने/केवाईसी के अंतिम सत्यापन की तारीख से उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दो साल में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर आठ साल में एक बार और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दस साल में एक बार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार:

मैं। व्यक्तिगत ग्राहक:

ए)**केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं:**केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से एक स्व-घोषणा IHFL के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, IHFL के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन वेबसाइट लॉगिन, मोबाइल एप्लिकेशन) के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। पत्र आदि

बी)**पते में परिवर्तन:**केवल ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन के मामले में, नए पते की स्व-घोषणा ग्राहक से आईएचएफएल के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, आरई के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, आरई के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। आईएचएफएल, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन वेबसाइट लॉगिन, मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र इत्यादि, और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जैसे पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स इत्यादि।

इसके अलावा, ग्राहक आवधिक अद्यतनीकरण के समय पते के प्रमाण के लिए ग्राहक द्वारा घोषित ओवीडी या डीम्ड ओवीडी या उसके समकक्ष दस्तावेजों की एक प्रति जमा कर सकता है।

आवधिक अद्यतनीकरण के लिए गैर-आमने-सामने मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान पते की घोषणा, यदि वर्तमान पता आधार के पते से भिन्न है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही हो जो ग्राहक की प्रोफ़ाइल में उनके पास उपलब्ध है, ताकि किसी भी धोखाधड़ी को रोका जा सके।

द्वितीय. व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:

ए)**केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं**: एलई ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, एलई ग्राहक से इस संबंध में एक स्व-घोषणा आईएचएफएल के साथ पंजीकृत उसकी ईमेल आईडी, आईएचएफएल के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन) के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। वेबसाइट लॉगिन, मोबाइल एप्लिकेशन), इस संबंध में एलई द्वारा अधिकृत अधिकारी का पत्र, बोर्ड संकल्प आदि। इसके अलावा, उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (बीओ) जानकारी को सत्यापित किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह सटीक है और यदि आवश्यक हो तो उसे अपडेट किया जाएगा। इसे यथासंभव अद्यतित रखें।

बी)**केवाईसी जानकारी में बदलाव:**केवाईसी जानकारी में बदलाव के मामले में, नए एलई ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अतिरिक्त उपाय:उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

I. ग्राहक का पैन विवरण, यदि उपलब्ध हो, केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाता है।

द्वितीय. ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज़ वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं, यही बात तब भी लागू होती है जब ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन आईएचएफएल के पास उपलब्ध दस्तावेज़ वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं होते हैं। इसके अलावा, यदि आईएचएफएल के पास उपलब्ध सीडीडी दस्तावेजों की वैधता केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय समाप्त हो गई है, तो आईएचएफएल नए ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाएगा।

तृतीय. समय-समय पर अद्यतन करने के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित, संबंधित दस्तावेज़ की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए ग्राहक को पावती प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों को आईएचएफएल के रिकॉर्ड/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किया जाए और केवाईसी विवरण के अद्यतन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना प्रदान की जाए। ग्राहक।

चतुर्थ. केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा निर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध होगी।

जहां कंपनी जानकारी न देने और/या ग्राहक द्वारा असहयोग के कारण उचित केवाईसी उपाय लागू करने में असमर्थ है, कंपनी ग्राहक को कारण बताते हुए उचित नोटिस जारी करने के बाद खाता बंद करने या व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकती है। ऐसा निर्णय ले रहे हैं. ऐसे निर्णय यथोचित वरिष्ठ स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है।

ग्राहकों को सलाह दी जाएगी कि पीएमएल नियमों का अनुपालन करने के लिए, व्यावसायिक संबंध/खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के समय और उसके बाद आवश्यकतानुसार ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अद्यतन के मामले में, ग्राहक इसे प्रस्तुत करेंगे। कंपनी ऐसे दस्तावेज़ों का अद्यतनीकरण करती है। यह कंपनी के रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से दस्तावेजों को अपडेट करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा

5.3 जोखिम प्रबंधन

इस नीति का उद्देश्य उचित प्रक्रियाएं स्थापित करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके एक प्रभावी केवाईसी कार्यक्रम सुनिश्चित करना है। दिन-प्रतिदिन के कामकाज और ग्राहकों सहित बातचीत से जुड़े अधिकारी

उनकी देखरेख करने वाले प्रशासनिक कार्यालयों को केवाईसी कार्यक्रम के साथ वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंधन निरीक्षण, सिस्टम और नियंत्रण, कर्तव्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित मामलों की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के भीतर जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से आवंटित किया जाना चाहिए कि नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। . बोर्ड अपने मौजूदा और नए ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए प्रक्रियाएं तैयार करेगा और लेनदेन, खाते या व्यावसायिक संबंधों में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपाय लागू करेगा।

5.3.1 जोखिम आधारित दृष्टिकोण

IHFL जोखिम-आधारित दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
- जोखिम वर्गीकरण ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति और ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान आदि के बारे में जानकारी जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, ऑनलाइन या के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता जारीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी) मानक पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की गई कोई भी सिफारिशें, जोखिम के मूल्यांकन में भी विचार की जानी चाहिए।
- कंपनी उन देशों के प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन के लिए उन्नत उचित परिश्रम उपायों को लागू करेगी, जो जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी मांग की गई है।

- समय-समय पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से कथित जोखिम के संबंध में एकत्र की गई कोई भी अन्य जानकारी गैर-दखल देने वाली होती है और उसे यहां निर्दिष्ट किया जा सकता है।

हाउसिंग/बिल्डर/प्रोजेक्ट ऋणों में संदिग्ध लेनदेन की एक उदाहरणात्मक (लेकिन संपूर्ण नहीं) सूची प्रदान की गई है**अनुलग्नक - II**मार्गदर्शन के उद्देश्य से.

आंतरिक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन:-

आरबीआई सर्कुलर दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के अनुसार, कंपनी को ग्राहकों, देशों के लिए अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने, पहचानने और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करना आवश्यक है। या भौगोलिक क्षेत्र, उत्पाद, सेवाएँ, लेनदेन या वितरण चैनल, आदि।

5.4 लेनदेन की निगरानी

निरंतर निगरानी प्रभावी केवाईसी प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य तत्व है। खाते की जोखिम प्रोफ़ाइल और जोखिम संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लेनदेन और उसकी सीमा की निगरानी की जाएगी। उच्च जोखिम वाले खातों की गहन निगरानी की जाएगी। आईएचएफएल सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देगा जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्य कानूनी उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा, जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।

5.4.1 लेनदेन के रिकॉर्ड का रखरखाव

लेन-देन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की कंपनी की प्रणाली पीएमएल नियमों के नियम 3 के साथ पठित पीएमएलए की धारा 12 के तहत आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(ए) दस लाख रुपये से अधिक या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;

(बी) नकद लेनदेन की सभी श्रृंखलाएं एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, जिनका व्यक्तिगत मूल्य दस लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर से कम है, जहां लेनदेन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर हुई है और मासिक कुल दस लाख रुपये या इसके बराबर से अधिक है। विदेशी मुद्रा में

(सी) गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा दस लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष प्राप्तियों से जुड़े सभी लेनदेन;
(डी) सभी नकद लेनदेन (नियम 3 (सी) के अनुसार) जहां जाली या नकली मुद्रा नोटों या बैंक नोटों को वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया है या जहां लेनदेन की सुविधा के लिए मूल्यवान सुरक्षा या दस्तावेज़ की कोई जालसाजी हुई है, वहां होना चाहिए 15 द्वारा रिपोर्ट किया गयाांअगले महीने का दिन.

(ई) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकद में किए गए हों या नहीं, जैसा कि नियम 3(1) (डी) में बताया गया है।

शाखाओं को 10 लाख रुपये और उससे अधिक के सभी नकद लेनदेन (जमा और निकासी) का उचित रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसे लेन-देन और संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन, चाहे नकद में किए गए हों या अन्यथा, नियंत्रण/ प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाना चाहिए या केंद्रीय डेटाबेस से रिपोर्ट के रूप में निकाला जाना चाहिए।

5.4.2 निर्दिष्ट जानकारी वाले रिकॉर्ड

ऊपर उल्लिखित अभिलेखों में निम्नलिखित जानकारी होगी: -
(ए) लेनदेन की प्रकृति;
(बी) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें इसे दर्शाया गया था;
(सी) वह तारीख जिस दिन लेनदेन किया गया था; और
(डी) लेनदेन के पक्ष।

5.4.3 अभिलेखों का रखरखाव एवं संरक्षण

लेन-देन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की कंपनी की प्रणाली पीएमएल नियमों के नियम 3 के साथ पठित पीएमएलए की धारा 12 के तहत आवश्यकता के अनुरूप है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) दस लाख रुपये से अधिक या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन

(ii) नकद लेनदेन की सभी श्रृंखलाएं एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, जिनका व्यक्तिगत मूल्य दस लाख रुपये से कम या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर है, जहां लेनदेन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर हुई है और मासिक कुल दस लाख रुपये या इसके समकक्ष से अधिक है। विदेशी मुद्रा में

(iii) गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये या इसके समकक्ष प्राप्तियों से जुड़े सभी लेनदेन;
(iv) सभी नकद लेनदेन (नियम 3 (सी) के अनुसार) जहां जाली या नकली मुद्रा नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में इस्तेमाल किया गया है या जहां लेनदेन की सुविधा के लिए मूल्यवान सुरक्षा या दस्तावेज़ की कोई जालसाजी हुई है, वहां होना चाहिए अगले महीने के 15वें दिन तक रिपोर्ट की जाएगी।

(v) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकद में किए गए हों या नहीं, जैसा कि बताया गया है

नियम 3(1)(डी) में.
शाखाओं को 10 लाख रुपये और उससे अधिक के सभी नकद लेनदेन (जमा और निकासी) का उचित रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसे लेन-देन और संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन, चाहे नकद में किए गए हों या अन्यथा, नियंत्रण/ प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाना चाहिए या केंद्रीय डेटाबेस से रिपोर्ट के रूप में निकाला जाना चाहिए।

निम्नलिखित जानकारी को शामिल करने के लिए पीएमएलए नियमों के नियम 3 के अनुसार ऊपर उल्लिखित रिकॉर्ड: -

(i) लेनदेन की प्रकृति;
(ii) लेन-देन की राशि और वह मुद्रा जिसमें इसे अंकित किया गया था;
(iii) वह तारीख जिस दिन लेनदेन किया गया था; और
(iv) लेन-देन के पक्ष।

5.4.4 प्रधान अधिकारी

IHFL एक वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, जिसे 'प्रधान अधिकारी' के रूप में नामित किया जाएगा। इस प्रकार नामित प्रधान अधिकारी (पीओ) का नाम, उसका पदनाम और पता, समय-समय पर परिवर्तन सहित, कृपया निदेशक, एफआईयू-आईएनडी और नियामक अधिकारियों को भी सूचित किया जाए। प्रधान अधिकारी आईएचएफएल के प्रमुख/कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित होगा और कानून के तहत आवश्यक सभी लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग और जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह प्रवर्तन एजेंसियों, आईएचएफएल और किसी भी अन्य संस्थान के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में शामिल हैं।

संग्रह, संचालन, क्रेडिट और एफसीयू या किसी अन्य विभाग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, पीओ मौजूदा पीएमएलए दिशानिर्देशों के अनुसार एफआईयू-इंडिया को एसटीआर/सीटीआर/सीसीआर बढ़ाना और दाखिल करना सुनिश्चित करेगा।

पीएमएलए के तहत निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी) को जानकारी प्रस्तुत करना और विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता

जानकारी नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत की जानी चाहिए निदेशक, एफआईयू-आईएनडी
(वित्तीय खुफिया इकाई-भारत),
6वांतल, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई
दिल्ली-110021।

कंपनी समय-समय पर नियामक अधिकारियों द्वारा सलाह के अनुसार पीएमएलए, एफएटीसीए और सीआरएस के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

5.4.5 गोपनीयता दायित्व और सूचना साझा करना:

ए) कंपनी आरई और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न होने वाली ग्राहक जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगी।
बी) ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानकारी और उसके विवरण का खुलासा नहीं किया जाएगा।
ग) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/सूचना के अनुरोधों पर विचार करते समय, कंपनी खुद को संतुष्ट करेगी कि मांगी जा रही जानकारी ऐसी प्रकृति की नहीं है जो लेनदेन में गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी।

घ) उक्त नियम के अपवाद निम्नानुसार होंगे:

I. जहां प्रकटीकरण कानून की बाध्यता के तहत है

द्वितीय. जहां खुलासा करना जनता का कर्तव्य है,

तृतीय. आरई के हित में प्रकटीकरण की आवश्यकता है और

चतुर्थ. जहां खुलासा ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति से किया जाता है।

5.5 सी-केवाईसी प्राधिकरण के साथ पंजीकरण

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सीईआरएसएआई के सी-केवाईसी प्राधिकरण के साथ एक विधिवत पंजीकृत इकाई है। उपरोक्त प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के साथ-साथ नियामक के निर्देश के अनुसार, हम पंजीकृत और रिपोर्टिंग इकाई के रूप में हैं। आईएचएफएल को ग्राहक की उचित परिश्रम प्रक्रिया (सीडीडी) के माध्यम से सभी केवाईसी दस्तावेजों को स्वीकार करने के बाद ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेजों को पंजीकृत करना आवश्यक है और विधिवत बोर्ड पर लेने के बाद, उपरोक्त प्राधिकारी के समक्ष अपना केवाईसी डेटा/जानकारी अपलोड करनी होगी। डेटा अपलोड करने के बाद उत्पन्न केवाईसी पहचानकर्ता को ग्राहक को सूचित किया जाएगा।

ग्राहक का अद्यतन केवाईसी डेटा लागू सीडीडी मानदंडों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अपलोड किया जाना चाहिए।

6 ग्राहक शिक्षा

कंपनी को केवाईसी कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए, खासकर ग्राहकों से संवेदनशील या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के समय।

7 नई तकनीकें

आईएचएफएल ऑन-लाइन लेनदेन सहित नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग खतरों पर विशेष ध्यान देगा, जो गुमनामी को बढ़ावा दे सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने के लिए उपाय करेगा।

8 नीति के प्रमुख तत्व:

लघुरूप	विवरण
एल्को	परिसंपत्ति देयता समिति
एएमएल	एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
बो	लाभकारी स्वामी
सीडीडी	ग्राहक के लिए उचित परिश्रम
सीएफटी	आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला
सीआरए	सामान्य रिपोर्टिंग मानक
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एफआईयू-आईएनडी	वित्तीय खुफिया-भारत
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियाँ
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो

ओवीडी	आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़
कड़ाही	स्थायी खाता संख्या
पीईपी	राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति
पीएमएल/पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

टिप्पणी:*ओवीडी का मतलब है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर रखने का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र। जिसमें नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नाम, पता या किसी अन्य दस्तावेज़ का विवरण शामिल हो।*

स्पष्टीकरण 1: - इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक दस्तावेज़ को ओवीडी माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई बदलाव हुआ हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार या राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो। नाम में ऐसे बदलाव का संकेत

अनुबंध-मैं

ग्राहक पहचान प्रक्रिया

क्र.सं.	वर्ग	दस्तावेज़
1.	**व्यक्ति-निवासी/**ए)**नए ग्राहक की स्वीकृति के समय पैन या फॉर्म 60। अनिवासी;** ***और*** बी) **एक प्रमाणित प्रति**आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) * (नीचे नोट 1 देखें)। ओवीडी की सूची:- 1) पासपोर्ट 2) ड्राइविंग लाइसेंस 3) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र 4) आधार नंबर होने का प्रमाण** 5) राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड 6) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो **और** सी)**एक हालिया तस्वीर**; डी)**आधार नंबर**(केवल वहीं जहां ग्राहक किसी भी प्रकार की सब्सिडी का लाभ लेने का इच्छुक हो)।	**मालिक; व्यक्तियों जैसे कि साथी, निदेशक, कर्मचारी, प्रबंधक, ट्रस्टी आदि एक वकील को पकड़ना कानूनी इकाई की ओर से लेनदेन करना**
2.	**एकल स्वामित्व**	उपरोक्त श्रेणी 1 में बताए गए दस्तावेज़ों के अतिरिक्त

	अटल	मालिक, मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे: - (ए) उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) सहित पंजीकरण प्रमाणपत्र। (बी) दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगर निगम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस। (सी) बिक्री और आयकर रिटर्न। (डी) सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)। (ई) बिक्री कर/व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज़। (एफ) डीसीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना कंपनी को जारी किया गया आईईसी (आयातक निर्यातक कोड)। छ) किसी क़ानून के तहत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना संस्था के नाम पर जारी किया गया प्रैक्टिस का लाइसेंस/प्रमाण पत्र। (ज) एकमात्र मालिक के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय परिलक्षित हो, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकृत। (i) बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन जैसे उपयोगिता बिल। **यदि ऐसे दो दस्तावेज़ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त दस्तावेज़ों में से किसी एक को व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।** इसके अलावा, संपर्क बिंदु सत्यापन करना और ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण एकत्र करना आवश्यक है जो ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने और मालिकाना कंपनी के पते से व्यावसायिक गतिविधि को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होगा।

3.	**कंपनी**	क) निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति; बी) मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेखों की प्रमाणित प्रति; ग) पैन की प्रमाणित प्रति; घ) निदेशक मंडल के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति और उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी और ई) अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणी 1 में उल्लिखित दस्तावेज़।
4.	**साझेदारी फर्म**	क) भारतीय भागीदारी अधिनियम/सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति; बी) पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति; ग) पैन की प्रमाणित प्रति; घ) अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणी 1 में उल्लिखित दस्तावेज़। ई) सभी भागीदारों के नाम, और पंजीकृत कार्यालय का पता और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है

5.	**ट्रस्ट और**एफ**आधार**	क) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति; बी) ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति; ग) पैन या फॉर्म 60 की प्रमाणित प्रति; घ) अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणी 1 में उल्लिखित दस्तावेज़।
6.	**अनिगमित संगठन (*शामिल अपंजीकृत ट्रस्ट/साझेदारी फर्म) या*एक शरीर**	क) ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय के संकल्प की प्रमाणित प्रति; बी) उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति; ग) पैन या फॉर्म 60 की प्रमाणित प्रति; घ) अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणी 1 में उल्लिखित दस्तावेज़; ई) ऐसी जानकारी जो कंपनी को ऐसे किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।
7.	**कानूनी व्यक्तियों नहीं** **विशेष रूप से कवर किया गया** **ऐसे ऊपर जैसा सरकार या उसके विभाग, समाज, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायतें,**	क) इकाई की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाले दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति; बी) अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणी 1 में उल्लिखित दस्तावेज़

** प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ ओवीडी की प्रति की तुलना करना होगाइसलिए मूल के साथ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया और कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि पर इसे दर्ज किया गया।*
** *इसके लिए आवश्यक है**ग्राहक के आधार नंबर को संशोधित या ब्लैकआउट करें**कंपनी को आधार होने का प्रमाण जमा करते समय सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।*

नोट 1: -यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज में अद्यतन पता नहीं है, तो पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज माना जाएगा: -

(ए) उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी बिल) का दो महीने से अधिक पुराना नहीं है;
(बी) संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
(सी) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता शामिल है;
(डी) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटन पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश और लाइसेंस समझौते;
(ई) कम आर्थिक पृष्ठभूमि वाले या ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित ग्राहकों के लिए, किराए के घर में रहने पर, ग्राहक को ले जाने के लिए किराया समझौते की प्रति स्वीकार की जाएगी।

बोर्ड, इस शर्त पर कि ग्राहक बाद की तारीख में अद्यतन ओवीडी जमा करने का वादा करता है, बशर्ते कि लागू ऋण राशि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की सीमा से अधिक न हो। पते के प्रमाण की स्वीकृति में उपरोक्त छूट केवल समाज के वंचित वर्ग के व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए दी जा रही है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्राहक को उपरोक्त दस्तावेज़ जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अद्यतन आधिकारिक वैध दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है।

टिप्पणी:-जहां कोई ग्राहक अपना आधार नंबर जमा करता है और केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से अलग वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, तो वह कंपनी को इस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।

अनुलग्नक - II

बिल्डर/परियोजना ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की उदाहरणात्मक सूची

एक। बिल्डर परियोजना की कुल लागत की तुलना में छोटे ऋण के लिए कंपनी से संपर्क कर रहा है;

बी। बिल्डर परियोजना के लिए धन के स्रोत बताने में असमर्थ है;

सी। विभिन्न प्राधिकरणों से स्वीकृतियां/स्वीकृतियां फर्जी साबित होती हैं या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राहक आवश्यक सरकारी मंजूरी/फाइलिंग आदि प्राप्त नहीं करना चाहता है;

डी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन अज्ञात या अनुचित व्यक्ति(व्यक्तियों) के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है।

इ। कर्मचारियों की संख्या या संरचना व्यवसाय के आकार या प्रकृति के अनुरूप नहीं है (उदाहरण के लिए, कर्मचारियों की संख्या और उपयोग की गई संपत्तियों को देखते हुए किसी कंपनी का टर्नओवर अनुचित रूप से अधिक है)।

एफ। बहुक्षेत्रीय संचालन वाले ग्राहक जिनके पास पर्याप्त केंद्रीकृत कॉर्पोरेट निरीक्षण नहीं है।

जी। कानूनी व्यवस्थाओं की स्थापना पर सलाह, जिसका उपयोग स्वामित्व या वास्तविक आर्थिक उद्देश्य को अस्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है (जिसमें ट्रस्टों, कंपनियों की स्थापना या नाम/कॉर्पोरेट सीट या अन्य जटिल समूह संरचनाओं का परिवर्तन शामिल है)।

एच। नकद या आसानी से हस्तांतरणीय संपत्तियों में लेनदेन के उच्च स्तर वाली संस्थाएं, जिनमें से नाजायज धन को अस्पष्ट किया जा सकता है।

आवास ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की उदाहरणात्मक सूची

एक। ग्राहक जानकारी, डेटा, दस्तावेज़ प्रदान करने में अनिच्छुक है;

बी। ग्राहक की कानूनी संरचना को कई बार बदला गया है (नाम परिवर्तन, स्वामित्व का हस्तांतरण, कॉर्पोरेट सीट का परिवर्तन);

सी। अनावश्यक रूप से जटिल ग्राहक संरचना;

डी। व्यक्तिगत या लेन-देन के वर्ग जो स्थापित व्यावसायिक प्रोफ़ाइल के बाहर होते हैं, और अपेक्षित गतिविधियाँ/लेन-देन अस्पष्ट हैं;

इ। झूठे दस्तावेज़, डेटा, ऋण का उद्देश्य, खातों का विवरण प्रस्तुत करना;

एफ। धन के स्रोत का विवरण देने से इंकार कर दिया गया है जिसके द्वारा प्रारंभिक योगदान किया गया है, धन के स्रोत संदिग्ध हैं आदि;

जी। व्यक्तिगत रूप से मिलने में अनिच्छुक, पर्याप्त कारणों के बिना किसी तीसरे पक्ष/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है;
एच। कंपनी की किसी शाखा/कार्यालय के पास जाता है, जो ऋण आवेदन में दिए गए ग्राहक के आवासीय या व्यावसायिक पते से दूर है, जबकि दिए गए पते के करीब कंपनी की शाखा/कार्यालय है;

मैं। खाते/एकाधिक खातों के विवरण में अनेक अंतरणों को समझाने या संतुष्ट करने में असमर्थ;

जे। उचित औचित्य के बिना असंबंधित तृतीय-पक्ष खातों के माध्यम से किया गया प्रारंभिक योगदान;

क। ऋण राशि के अंतिम उपयोग के उचित औचित्य के बिना, टॉप-अप ऋण और/या इक्विटी ऋण प्राप्त करना;

एल ऋण की मंजूरी के लिए संदिग्ध तरीकों का सुझाव देना;
एम। जहां लेन-देन का आर्थिक अर्थ नहीं होता;
एन। अज्ञात स्रोत से असामान्य वित्तीय लेनदेन;
ओ असंबद्ध या अज्ञात तृतीय पक्षों से प्राप्त भुगतान और शुल्क के लिए नकद भुगतान जहां यह भुगतान का एक सामान्य तरीका नहीं होगा;
पी। ऋण के वास्तविक लाभार्थी और खरीदे जाने वाले फ्लैट पर उचित संदेह हैं;

क्यू। फर्जी बैंक खाता खोलकर ऋण राशि का नकदीकरण;
आर। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि जिस संपत्ति/आवासीय इकाई को वित्तपोषित किया जाना है, उसे पहले ही वित्त पोषित किया जा चुका है और वह बकाया है, ऋण के लिए आवेदन करना;
एस। बिक्री के लिए समझौते में बताई गई बिक्री पर विचार खरीद के क्षेत्र में प्रचलित राशि से असामान्य रूप से अधिक/कम है;
टी। एक ही संपत्ति/निवास इकाई की एकाधिक फंडिंग;
यू किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में किए गए भुगतान के लिए अनुरोध जिसका लेनदेन से कोई संबंध नहीं है;

v. ग्राहक द्वारा विक्रेता/बिल्डर/डेवलपर/ब्रोकर/एजेंट आदि की मिलीभगत से ऋण राशि का उपयोग और निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करना;

डब्ल्यू एनजीओ/धर्मार्थ संगठन/लघु/मध्यम प्रतिष्ठान (एसएमई)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/ सूक्ष्म वित्त समूह (एमएफजी) से जुड़ी एकाधिक फंडिंग/वित्तपोषण;
एक्स। पता बदलने के लिए बार-बार अनुरोध;
वाई अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने के अनुरोध के साथ किश्तों का अधिक भुगतान;
जेड अपेक्षा से अधिक/कम कीमत पर रियल एस्टेट में निवेश; आ. ऐसे देशों में
शामिल ग्राहक जो धारक शेयरों की अनुमति देते हैं।